न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –139/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/164

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सीयाराम पुत्र सुरताराम जाति–मेघवाल,निवासी–सोमणा तहसील–डेह		1. तहसीलदार,डेह जिला–नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र मेघवाल उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.05.2026

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार,डेह द्वारा प्रकरण संख्या 07/2025 उनवान सरकार बनाम सीयाराम प्रकरण अधीन धारा 91 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2025 के विरूद्ध पेश की है।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवे।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में तर्क दिया कि न्यायालय तहसीलदार,डेह में ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 08.09.2025 को जुर्माना एवं बेदखली के आदेश पारित किये है जो सरासर गलत आदेश पारित किये है।

विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलांट को नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2025 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था उक्त तारीख पेशी पर अपीलांट न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने का कहते हुए आयन्दा अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप होने का कहा गया तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.09.2025 रखी गई। प्रकरण में दिनांक 08.09.2025 को हमारे विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को समुचित साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा कि जिस बाड़ा पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया गया है यह बाड़ा अपीलांट का उनके पूर्वजों के समय से है परन्तु उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड का ध्यान नहीं दिये जाने से इसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका है। प्रश्नगत भूमि के आस पास अवस्थित भूमि के कई व्यक्तियों के नाम पट्टे जारी हो रखे है इसलिए अपीलांट को इस भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अपीलांट को सम्वत् 2081 में अतिक्रमी मानते हुए यह मनमानी कार्यवाही की गई है जबकि यह भूमि अपीलांट की पुस्तैनी जमीन है जिसे साबित करने हेतु अपीलांट को साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर जो अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि प्रश्नगत भूमि वास्तविक रूप से आबादी भूमि में है,इस भूमि पर अपीलांट एवं उनके परिवारजन पशुपालन करते आये तथा पक्की संरचना की है अगर इस भूमि का वास्तविक नाप चौप राजस्व टीम से करवाया जाता तो यह भूमि आबादी में आती है। अपीलांट को दिये गये नोटिस में भूमि का किसी प्रकार का नाप चौप अंकित नहीं है और न ही क्षेत्रफल दर्ज है यह रिपोर्ट केवल मात्र कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है तथा इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर हमारे विरूद्ध की गई यह कार्यवाही एक पक्षीय की गई है तथा इस कार्यवाही के आधार पर अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जावें तथा भूमि का नाप चौप करवाया जाकर अपीलांट को साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये जावें।

राजकीय पैरोकार का बहस में कथन है कि अपीलांट ने ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गौचर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा जरिये बाड़ा व पक्की दीवार बनाकर किये जाने से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिवत पारित किया गया है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी पटवार मण्डल सोमणा द्वारा तहसीलदार,डेह को पेश रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 में यह निवेदन किया है कि श्री सीयाराम पुत्र श्री सुरताराम निवासी सोमणा तहसील डेह ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म जमीन गै0मु0 गौचर पर सम्वत् 2082 से अनाधिकृत कब्जा बाड़ा/पक्की दीवार करके कर रखा है। तहसीलदार,डेह द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट स्वयं की तामिल का होने से अधीनस्थ न्यायालय ने तामिल पर्याप्त मानते हुए

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

गैर सायल उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया है। अपीलांट का कथन है कि उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मानने योग्य नहीं हैं।

पत्रावली में पटवारी हल्का सोमणा एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.0081 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ा/पक्की दीवार बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों की होने का तथ्य जरूर प्रकट किया है परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये है एवं न ही इस अपील के साथ पेश किये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम सोमणा के खसरा नम्बर 226 भूमि किस्म गै0मु0 गौचर पर अनाधिकृत कब्जा करके अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के स्वामित्व की होने के कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं गै0मु0 गौचर भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए इस प्रकार की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में गैर सायल के विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा बेदखली एवं जुर्माना के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर